आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, सलूंबर

क्रमांक: F 3(ReliefAgriinputsubsidy-2025/434 दिनांक: 15/07/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2079/SAL/0009793

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव सवत् 2079 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत् ।

राज्य सरकार द्वारा जारी क्रमांक 13405-425 दिनांक 02.12.2022 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव सवत् 2079 (खरीफ-2022) मे कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना मे निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
झल्लरा	7991	SMF	50%-75%	23911739
योग	**7991**			**23911739**

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 मे कृषको हेतु 2245-02-114-(09)-[01]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
सलूंबर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, ...
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद...................
6. अति. जिला कलक्टर.......................
7. तहसीलदार ....
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी..........................
9. निजी सहायक, जिला कलक्टर..........................
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
सलूंबर

ignature valid

gitally signed by Avdhesh Meena

कार्यालय जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सलूम्बर (राज.)

क्रमांक: प.03()/सहायता कृषि आदान-अनुदान/2025/418 दिनांक 22/07/2025

प्रेषिति,

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः सलूम्बर जिले के तहसील सलूम्बर एवं झल्लारा में अभाव संवत् 2079 (खरीफ-बाढ़) के शेष रहे पात्र प्रभावित कृषकों को कृषि आदान अनुदान भुगतान हेतु बजट आवंटन बाबत्।

प्रसंगः

1. आपका पत्र क्रमांक एफ.1(11)आ.प्र.एवं सहा./सामान्य/मार्गदर्शन/2024/राजकाज-15765132 दिनांक 12.06.2025
2. आपका पत्र क्रमांक एफ.2(9)(आ.प्र.एवं सहा./लेखा/बजट/2025-26/राजकाज-14545448 दिनांक 03.04.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के क्रम में निवेदन है कि सलूम्बर जिले की तहसील सलूम्बर एवं झल्लारा में संवत् 2079 में बाढ़ से हुई खरीफ फसल खराबे के प्रभावित कृषकों को कृषि आदान अनुदान का भुगतान प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों से आज दिनांक तक लम्बित है। इस सम्पूर्ण प्रकरण की वस्तुस्थिति एवं वर्तमान में अपेक्षित कार्यवाही निम्नानुसार है:

1. **प्रारम्भिक कार्यवाही (जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा):** –सलूम्बर के नवीन जिला गठन से पूर्व, राहत भुगतान की कार्यवाही श्रीमान् जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा सम्पादित की जा रही थी। इस क्रम में कुल 16,791 प्रभावित कृषकों को ₹6.97 करोड का भुगतान किया जा चुका है।
2. **शेष कृषकों हेतु कार्यवाही एवं मूल मांग:** –प्रभावित कृषकों का डाटा पटवारियों द्वारा समय पर पोर्टल पर अपलोड नहीं होने के कारण, आपके निर्देशानुसार दिनांक 12.07.2024 को DMIS पोर्टल पुनः खोला गया। इस पर शेष रहे समस्त पात्र 26,556 कृषकों का डाटा अपलोड कर, श्रीमान् जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 29.07.2024 व 02.08.2024 को प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर कुल ₹8.78 करोड की ऑनलाइन मांग विभाग को प्रेषित की गई।
3. **प्रशासनिक एवं तकनीकी गतिरोध:** – इसी मध्य दिनांक 06.08.2024 को सलूम्बर जिले की DMIS पोर्टल पर मैपिंग होने एवं डाटा उदयपुर से पृथक होने के कारण, उक्त कृषकों की सूचियां दोनों ही जिलों के पोर्टल पर प्रदर्शित होना बंद हो गई। विभाग द्वारा दिनांक 30.08.2024 को उक्त मांग का बजट भी उदयपुर जिले को आवंटित कर दिया गया, जिससे भुगतान प्रक्रिया में पूर्ण गतिरोध उत्पन्न हो गया। इस गतिरोध के निवारण हेतु इस कार्यालय (पत्रांक 159 दिनांक 08.10.2024) एवं श्रीमान् जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा विभाग से निरंतर मार्गदर्शन चाहा गया।
4. **विभागीय निर्देश एवं वर्तमान स्थितिः** आपके प्रासंगिक पत्र (क्रमांक-1) द्वारा यह स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि नवगठित जिलों से सम्बंधित पुराने प्रकरणों सहित समस्त भुगतान की कार्यवाही अब सम्बंधित नवगठित जिला कलक्टर द्वारा ही की जाएगी।

RajKaj Ref No.:
16700305
eSign DSC

5. **अद्यतन बजट मांग:** आपके प्रासंगिक पत्र (क्रमांक-2) द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा सलूम्बर एव झल्लारा के शेष रहे पात्र कृषकों के भुगतान हेतु नवीन प्रशासनिक स्वीकृतिया तैयार की गई है। प्रभावित कृषकों को शीघ्र राहत प्रदान करने हेतु निम्नानुसार बजट मांग सादर प्रेषित है।

मद/गतिविधि के लिये संवत्/अवधि में लाभार्थियों की कुल संख्या	मद/गतिविधि में पूर्व में स्वीकृत उक्त पात्र लाभार्थियों की संख्या / राशि	इस स्वीकृति में लाभार्थियों की संख्या (AS No.)	इस स्वीकृति में लाभार्थियों की राशि (रु.)	मद/गतिविधि में अवशेष लाभार्थियों की संख्या / राशि
43,954	16,791 (₹6,06,97,000)	490 (AS/AGRI/2079/SAL/0009792)	10,85,483	0
		7,991 (AS/AGRI/2079/SAL/0009793)	2,39,11,739	0
		257 (AS/AGRI/2079/SAL/0009798)	32,68,095	0
		95 (AS/AGRI/2079/SAL/0009797)	11,70,417	0
		10,851 (AS/AGRI/2079/SAL/0009796)	3,35,59,794	0
		7,479 (AS/AGRI/2079/SAL/0009795)	2,77,26,357	0
कुल		27,163	9,07,21,885	0

विलम्ब का कारण: –नवीन जिला सलूम्बर के गठन उपरान्त DMIS पोर्टल पर डाटा हस्तान्तरण एवं बजट आवंटन उदयपुर जिले को होने से उत्पन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी गतिरोध के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि कृषकों को विगत तीन वर्षो से लम्बित कृषि आदान अनुदान का भुगतान करने हेतु उपरोक्त राशि ₹9,07,21,885/- **(नौ करोड़ सात लाख इक्कीस हज़ार आठ सौ पिच्यासी रुपये मात्र)** का बजट आवंटन इस कार्यालय को कराने का श्रम करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अवधेश मीणा)

जिला कलक्टर एव अध्यक्ष,

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,

सलूम्बर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एव नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

(अवधेश मीणा)

जिला कलक्टर,

सलूम्बर

Document certified by Avdhesh Meena <osd.salumber@gmail.com>